

राजस्थान सरकार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर

(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रतापनगर, जयपुर-302033)

E-mail: rancjaipur2012@gmail.com दूरभाष: 0141-2796295

क्रमांक: लेखा 3/रा.आ.न.प./विज्ञप्ति/2019/ 7059

दिनांक:- 10.12.2025

श्रीमान् कुल सचिव महोदय,
डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जोधपुर ।

विषय :-राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 DAN&P एवं B.SC.AYURVED NURSING पाठ्यक्रम की ऑफ लाईन रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग विज्ञप्ति को वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 DAN&P एवं B.SC.AYURVED NURSING पाठ्यक्रम की ऑफ लाईन रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग विज्ञप्ति को डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वैबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

सलंगन :- विज्ञप्ति एवं विकल्प पत्र


(डॉ. मुख्त्यार सिंह)
रजिस्ट्रार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर
(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)
E-mail: rancjaipur2012@gmail.com दूरभाष नं-0141 2796295

क्रमांक : 7056

दिनांक: 10.12.2025

विज्ञप्ति

बी.एस.सी.आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग की सूचना

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर से मान्यता (Recognition) व डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से सम्बद्धता (Affiliation) प्राप्त राजकीय/निजी बी.एस.सी.आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु ऑफ लाईन रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग परिषद कार्यालय द्वारा आयुष भवन, सेक्टर-26 प्रताप नगर जयपुर में प्रातः 10:00 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जावेगी।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग
1	रिसफलिंग बी.एस.सी.आयुर्वेद नर्सिंग (B.SC.Ayu.Nursing)	पूर्व दिनांक 03.11.2025 से 06.11.2025 तक आयोजित काउंसलिंग में प्रवेशित विद्यार्थियों की रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) दिनांक 16.12.2025, को प्रातः 10:00 बजे से होगी।
2	रिकाउंसलिंग बी.एस.सी.आयुर्वेद नर्सिंग (B.SC.Ayu.Nursing)	पूर्व दिनांक 03.11.2025 से 06.11.2025 तक आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित रहे समस्त अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग दिनांक 17.12.2025, को प्रातः 10:00 बजे से होगी।

डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मैसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग की सूचना

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर से मान्यता-सम्बद्धता प्राप्त राजकीय/निजी आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु ऑफ लाईन रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग परिषद कार्यालय द्वारा आयुष भवन, सेक्टर-26 प्रताप नगर जयपुर में प्रातः 10:00 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जावेगी।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) एवं रिकाउंसलिंग
1	रिसफलिंग डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मैसी (DAN&P)	पूर्व दिनांक 08.11.2025 से 15.11.2025 तक आयोजित काउंसलिंग में प्रवेशित विद्यार्थियों की रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) दिनांक 18.12.2025 को प्रातः 10:00 बजे से होगी
2	रिकाउंसलिंग (DAN&P)	पूर्व दिनांक 08.11.2025 से 15.11.2025 तक आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित रहे अभ्यर्थी जिनके 12वीं कक्षा में 100 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के तक प्राप्तांक है उन अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग दिनांक 19.12.2025 तक होगी
3	रिकाउंसलिंग (DAN&P)	पूर्व दिनांक 08.11.2025 से 15.11.2025 तक आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित रहे अभ्यर्थी जिनके 12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले समस्त अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग दिनांक 20.12.2025 तक होगी

- रिकाउंसलिंग में बी.एस.सी.आयुर्वेद नर्सिंग/DAN&P पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए भाग लेने वाले अभ्यर्थी समस्त मूल दस्तावेज एवं मूल दस्तावेजों की छाया प्रति साथ लावे तथा 10,000/-रुपये का डिमांड ड्राफ्ट "रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर" (REGISTRAR RAJASTHAN AYURVED NURSING COUNCIL, JAIPUR) के नाम से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश लेने के बाद यह शुल्क रिफण्डेबल नहीं होगी।
- आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। SC/ST/OBC/MBC/TSP/EWS कटेगरी का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार स्वीकार्य होगा।
- यदि अभ्यर्थी वरियतानुसार समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
- रिकाउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प पत्र तथा नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र/महाविद्यालय की सूची वेब साईट पर देखें, एवं विकल्प पत्र साथ में भर कर लावें।
- रिकाउंसलिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारी निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान-अजमेर की वेबसाईट <http://ayurved.rajasthan.gov.in> व डॉ. एस. आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।


(डॉ. मुख्तियार सिंह)
रजिस्ट्रार

राजस्थान सरकार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर
(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)

बी.एस.सी आयुर्वेद नर्सिंग सत्र 2025-26

रिसफलिंग (संस्था फेर बदल) विकल्प पत्र

नाम पिता का नाम
श्रेणी.....जन्मतिथि.....सैकेण्डरी प्रतिशत.....सीनि.सैकेण्डरी प्रतिशत
वरियता क्रं. आधार नंमोबाईल नं
प्रथम काउंसलिंग में भाग लेने की दिनांक
आवंटित महाविद्यालय का नामकोड.....
वरियतानुसार चाहे गये महाविद्यालय का नाम मय कोड:-
1 महाविद्यालय का नाम मय कोड.....
2 महाविद्यालय का नाम मय कोड.....

घोषणा:- उक्त सभी सूचनायें सही हैं। काउंसलिंग समिति द्वारा रिसफलिंग में भाग लेने की अनुमति देने के पश्चात नवीन संस्था में प्रवेश लेने के बाद, पूर्व संस्था में प्रवेश बाबत कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी। रिसफलिंग के बाद नवीन संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में या गलत पाये जाने पर होने वाली हानि का उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

हस्ताक्षर प्रार्थी

महाविद्यालय आवंटन एवं अस्थाई प्रवेश

बी.एस.सी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय /कोड
में अस्थाई प्रवेश दिया जाता है।

(परिषद् प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक)

(परिषद् प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक)

(काउंसलिंग कमेटी अध्यक्ष)

राजस्थान सरकार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर
(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)

डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मसी सत्र 2025-26
रिसफलिंग (संस्था फेर बदल) विकल्प पत्र

नाम पिता का नाम
श्रेणी.....जन्मतिथि.....सैकेण्डरी प्रतिशत.....सीनि.सैकेण्डरी प्रतिशत
वरियता क्रं. आधार नंमोबाईल नं
प्रथम काउंसलिंग में भाग लेने की दिनांक
आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र का नामकोड.....
वरियतानुसार चाहे गये प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम मय कोड:-
1 प्रशिक्षण केन्द्र का नाम मय कोड.....
2 प्रशिक्षण केन्द्र का नाम मय कोड.....

घोषणा:- उक्त सभी सूचनायें सही हैं। काउंसलिंग समिति द्वारा रिसफलिंग में भाग लेने की अनुमति देने के पश्चात नवीन संस्था में प्रवेश लेने के बाद, पूर्व संस्था में प्रवेश बाबत कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी। रिसफलिंग के बाद नवीन संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में या गलत पाये जाने पर होने वाली हानि का उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

हस्ताक्षर प्रार्थी

प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन एवं अस्थाई प्रवेश

आयुष नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र /कोड
में अस्थाई प्रवेश दिया जाता है।

(परिषद् प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक)

(परिषद् प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक)

(काउंसलिंग कमेटी अध्यक्ष)

राजस्थान सरकार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर
(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)

बी.एस.सी आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2025-26

रिकाउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प पत्र

नाम पिता का नाम
श्रेणी.....जन्मतिथि.....सैकेण्डरी प्रतिशत.....सीनि.सैकेण्डरी प्रतिशत
वरियता क्रं. आधार नंमोबाईल नं
स्थायी पता

वरियतानुसार चाहे गये प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम:-

- 1 महाविद्यालय का नाम मय कोड.....
- 2 महाविद्यालय का नाम मय कोड
- 3 महाविद्यालय का नाम मय कोड
- 4 महाविद्यालय का नाम मय कोड
- 5 महाविद्यालय का नाम मय कोड

समस्त मूल दस्तावेजों को निम्नांकित वरियतानुसार लगायें (1 से 10 तक)

डी.डी. नम्बर दिनांक..... बैंक का नाम राशि
UTR -संख्या..... दिनांक

क्र.सं	वांछित दस्तावेज	प्राप्त /अप्राप्त	क्र.सं	वांछित दस्तावेज	प्राप्त /अप्राप्त
1	सैकेण्डरी अंकतालिका		6	जाति प्रमाण-पत्र	
2	सैकेण्डरी प्रमाण-पत्र		7	आधार कार्ड की प्रति	
3	सीनि. सैकेण्डरी अंकतालिका		8	विकलांग प्रमाण-पत्र	
4	सीनि. सैकेण्डरी प्रमाण-पत्र		9	विभागीय प्रमाण-पत्र	
5	मूल निवास प्रमाण-पत्र		10	अन्य..... प्रमाण-पत्र	

घोषणा:- उक्त सभी सूचनायें सही हैं। काउंसलिंग समिति द्वारा प्रवेश देने के पश्चात गलत पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में होने वाली हानि का उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

हस्ताक्षर प्रार्थी

प्रमाण-पत्र सत्यापित अधिकारी

प्रमाण-पत्र सत्यापित अधिकारी

आयुष नर्सिंग महाविद्यालय आवंटन एवं अस्थाई प्रवेश

आयुष नर्सिंग महाविद्यालय का नाम मय कोड
में अस्थाई प्रवेश दिया जाता है।

(परिषद् प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक)

(परिषद् प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक)

(काउंसलिंग कमेटी अध्यक्ष)

राजस्थान सरकार
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर
(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)

डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मसी सत्र 2025-26

रिकाउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प पत्र

नाम पिता का नाम
श्रेणी.....जन्मतिथि.....सैकेण्डरी प्रतिशत.....सीनि.सैकेण्डरी प्रतिशत
वरियता क्रं. आधार नंमोबाईल नं
स्थायी पता

वरियतानुसार चाहे गये प्रशिक्षण केन्द्रों का नाम:-

- 1 प्रशिक्षण केन्द्र का नाम मय कोड.....
- 2 प्रशिक्षण केन्द्र का नाम मय कोड.....
- 3 प्रशिक्षण केन्द्र का नाम मय कोड.....
- 4 प्रशिक्षण केन्द्र का नाम मय कोड.....
- 5 प्रशिक्षण केन्द्र का नाम मय कोड.....

समस्त मूल दस्तावेजों को निम्नांकित वरियतानुसार लगायें (1 से 10 तक)

डी.डी. नम्बर दिनांक..... बैंक का नाम राशि
UTR -संख्या..... दिनांक

क्र.सं	वांछित दस्तावेज	प्राप्त /अप्राप्त	क्र.सं	वांछित दस्तावेज	प्राप्त /अप्राप्त
1	सैकेण्डरी अंकतालिका		6	जाति प्रमाण-पत्र	
2	सैकेण्डरी प्रमाण-पत्र		7	आधार कार्ड की प्रति	
3	सीनि. सैकेण्डरी अंकतालिका		8	विकलांग प्रमाण-पत्र	
4	सीनि. सैकेण्डरी प्रमाण-पत्र		9	विभागीय प्रमाण-पत्र	
5	मूल निवास प्रमाण-पत्र		10	अन्य..... प्रमाण-पत्र	

घोषणा:- उक्त सभी सूचनायें सही हैं। काउंसलिंग समिति द्वारा प्रवेश देने के पश्चात गलत पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में होने वाली हानि का उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा।

हस्ताक्षर प्रार्थी

प्रमाण-पत्र सत्यापित अधिकारी

प्रमाण-पत्र सत्यापित अधिकारी

प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन एवं अस्थाई प्रवेश

आयुष नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र /कोड
में अस्थाई प्रवेश दिया जाता है।

(परिषद प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक)

(परिषद प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक)

(काउंसलिंग कमेटी अध्यक्ष)

फीस के नियम

यह सहमति पत्र भरकर मूल प्रमाण पत्र के साथ रिकाउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा

1. काउंसलिंग के समय प्रत्येक विद्यार्थी को “रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर” के नाम 10,000/रुपये (अक्षरे: दस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने पर ही उसकी सीट सुरक्षित मानी जावेगी।
2. प्रवेश के बाद फीस की राशि का शेष भाग दिनांक 22.12.2025 से 23.12.2025 तक सम्बन्धित आयुर्वेद नर्सिंग संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा रिकाउंसलिंग के समय जमा की गई 10,000/- की राशि पुनः नहीं लौटायी जायेगी।
3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा रिकाउंसलिंग के पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र में फीस जमा नहीं कराई जाती है अथवा फीस जमा कराने के बाद कभी भी आवेदन निरस्त कराया जाता है तो परिषद् कार्यालय में जमा कराई गई राशि रुपये 10,000/-में से कोई भी भाग सम्बन्धित को नहीं लौटाया जायेगा।
4. प्रवेश हेतु कॉलेज आवंटित करने के बाद अभ्यर्थी को उपरोक्त निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित आवंटित नर्सिंग सेन्टर में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा तथा शेष फीस आवंटित नर्सिंग सेन्टर में जमा करवाना अनिवार्य होगा उक्त अवधि में सम्बन्धित संस्था में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करवाने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्राशिक्षण केन्द्र, अजमेर एवं राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र, पूंजला, जोधपुर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संस्था में अपना प्रवेश सुनिश्चित कराने हेतु रिकाउंसलिंग के समय परिषद् में अग्रिम तौर पर जमा राशि 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रुपये मात्र) के अतिरिक्त संस्था की निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....
घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने फीस जमा कराने एवं लौटाने सम्बन्धी उपरोक्त नियमों को पूर्णतया पढ़ लिये हैं तथा मैं इनका पालन करने के लिये सहमत हूँ।

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

(नाम.....)

(वरियता क्रमांक व रजिस्ट्रेशन न.....)